न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 10/17

रघुवीर उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र श्री लालाराम जाति ठाकुर निवासी पिलुआ तहसील व जिला धौलपुर।

----- अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील धौलपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
3. हरिप्यारी पुत्री छिद्दा पत्नी श्री महावीर जाति ठाकुर निवासी पिलुआ हाल निवासी ग्राम गुलावली तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

----- रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 5.12.14 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा

निर्णय

दिनांक – 09.05.18

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1786 रकवा 16 विश्वा वाके ग्राम इन्छापुरा पटवार क्षेत्र शाहपुरा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार रैस्पोडेण्ट संख्या 3 हरप्यारी पुत्री छिद्दा रही जो कि अभी जीवित है किन्तु रैस्पोडेंट संख्या 2 राजस्व कर्मचारियों की गलतफहमी से सहवन भूलवश रेस्पोडेंट संख्या 3 को मृत मानते हुए दिनांक 5.12.14 को अपीलार्थी के पक्ष में विरासत का नामांतकरण संख्या 1149 तस्दीक करा दिया और अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करा दिया है। जब प्रार्थी को अपीलार्थी संख्या 3 के सहवन गलत नामान्तकरण संख्या 1149 की जानकारी हुयी तो उसने राजस्व जमावन्दी की नकल निकलवाई और रेस्पोडेंट से सहवन गलती से अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 5.12.14 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1149 को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 3 हरप्यारी के नाम इन्द्राज कराने का निवेदन किया तो सभी रेस्पोडेंट ने उक्त अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1149 को निरस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3 के जीवित रहते हुए अपीलार्थी के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण संख्या 1149 तारीखी 5.12.14 तस्दीक करन का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद भी उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की हैं जो

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 5.12.14 को निरस्त किया जाकर पूर्ववर्ती इन्द्राजों को हरप्यारी के नाम से बहाल किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये इसलिये उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शाहपुरा में पेश हुई। अपीलाण्ट के अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उपस्थित आये। रअपीलाण्ट के अभिभाषक ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों की भूलवश बिना पूर्ण जानकारी किये रेस्पोडेंट संख्या 3 को मृत मानकर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1149 अपीलाण्ट के नाम तस्दीक कर दिया है एवं इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिये गये हैं। रेस्पोडेंट संख्या 3 के जीवित रहते विरासत का उक्त नामान्तकरण शून्य है अतः इसको निरस्त किया जाकर पूर्व के इन्द्राज बहाल किये जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1149 अभियान में खोला गया था, जिसमें गलत जानकारी के कारण विरासत का गलत नामान्तकरण खुल गया है जिसे निरस्त किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने निवेदन किया कि हरप्यारी अभी जीवित है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा किसी गलतफहमी में उसको मृत मानकर नामान्तकरण भरा गया है और अभियान में तस्दीक हो गया है। इसे निरस्त किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार में उपस्थित जनसमूह से इस बारे में जानकारी की गयी। उपस्थित आमजन के द्वारा बताया गया कि हरप्यारी अभी जिन्दा है और वह गांव में ना रहकर अपनी ससुराल में रहती है जो ग्राम गुलावली तहसील सैंपऊ में आता है। हरप्यारी के यहां नहीं रहने के कारण किसी ने गलत जानकारी राजस्व कर्मियों को दी गयी होगी जिसके आधार पर ही यह नामान्तकरण खोला गया होगा।

पत्रावली का अवलोकन करने पर संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2071–74 ग्राम इन्छापुरा के अनुसार खसरा नम्बर 1786 पर हरिप्यारी पुत्री छिद्दा कौम ठाकुर सा. पिलुआ खातेदार दर्ज रिकार्ड थी जिसको नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 5.12.14 से हरिप्यारी के स्थान पर रघुवीर पुत्र लालसिंह जाति ठाकुर सा. पिलुआ दर्ज किया गया है। नकल नामान्तकरण संख्या 1149 ग्राम इन्छापुरा के अनुसार हरप्यारी को फोत बता कर विरासतन रघुवीर पुत्र लालसिह के नाम नामान्तकरण खोला गया है और सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुरा के द्वारा इसको दिनांक 5.12.14 को स्वीकार किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट द्वारा किये गये कथनों एवं मजमे आम में उपस्थित आम जन के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 1786 ग्राम इन्छापुरा की खातेदार हरिप्यारी थी। हरिप्यारी की मृत्यु की

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

गलत जानकारी के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1149 भरा जाकर दिनांक 5.12.14 को स्वीकार किया गया है और हरिप्यारी के स्थान पर विरासतन रघुवीर के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हो गया है। हरिप्यारी अभी जिन्दा है एवं उसका वारिस रघुवीर ही उक्त इन्द्राजों को निरस्त कराने के लिये अपील प्रार्थना पत्र लेकर आया है। उभयपक्ष के द्वारा इसपर अपनी सहमति जाहिर की गयी है। मजमे आम में आम जन के द्वारा भी उक्त तथ्यों को सही बताया गया है। उक्तानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1149 तारीखी 5.12.14 ग्राम इन्छापुरा निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इस नामान्तकरण से पूर्व के हो रहे इन्द्राजों को बहाल किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को पालना बावत पत्र जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शाहपुरा में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner